सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़
पत्र संख्याः- 24/प्रेसनोट/2021 **11 जनवरी 2021**

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>
<u>थाना सिधारी</u>

<u>अपहरणकर्ता गिरफ्तार, अपहृता बरामद</u>

दिनांक 09.01.2021 को थाना क्षेत्र सिंधारी निवासी एक व्यक्ति ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 09.01.2020 को समय लगभग 4/5 बजे मेरी नाबालिक लड़की उम्र 9 वर्ष घर से लापता हो गयी गई। जिसकी काफी खोजबीन के बाद भी नही पता चल सका। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-10/2021 धारा 363 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर सघन चैकिंग अभियान शुरू किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपहृता की बरामदगी व अभियुक्तो की गिरफ्तारी के दृष्टिगत चलाये जा रहे भियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश कुमार के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सिधारी विनय कुमार मिश्र निकट पर्यवेक्षण में उ0नि0 अशोक कुमार तिवारी मय हमराहीगण म0का0 दिब्या धवन के साथ थाना स्थानीय से वादी की नाबालिक लड़की को तलाश करने हेतु प्रस्थान कर ग्राम समेदा व इटौरा चौकी क्षेत्र मे संघन चैकिंग करते व मुखबिर खास को मकसद बताते हुये मामूर किया गया व आस-पास के इलाके को सील कर बरामदगी हेतु ग्राम समेदा मे प्रयास किये जा रहे थे कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि जो नाबालिक लड़की गुम हो गई जिसकी आप तलाश कर रहे है वह लड़की कहा है मै जानता हूं। मुखबिर खास की बात पर विश्वास करते हुये मय हमराहीगण व वादी मुकदमा व पीड़िता की मां को बुलाकर साथ लेकर व मुखबिर खास को साथ लेकर चल दिये। मुखबिर खास दूर से ही ईशारा करके बताया कि वह वही घर जिसमे अपहृता नाबालिक लड़की को रखा गया है। तत्पश्चात मुखबिर खास चला गया। घर के पास पहुचा गया तो दरवाजा अन्दर से बन्द था काफी मसकत के बाद दरवाजा खुलवाया गया तो अन्दर की खाना तलाशी लिया गया तो अपहृता घर में बेड के बाक्स में बन्द मिली। उस कमरे मे अमीन शेख उर्फ छोटू पुत्र मुख्तार अहमद शेख उम्र करीब 22 वर्ष सा0 समेदा थाना सिधारी आजमगढ़ भी घर मे मौजूद मिला। नाबालिक अपहृता को बक्से से निकालकर पूछा गया तो रोते रोते हुए बताई कि साहब मै 03.00 बजे शाम के समय पोखरा गयी थी तो वहा पर मुझे छोटू पुत्र मुख्तार ने मुझे पकड़कर अपने घर मे बेड के बाक्स मे बन्द कर दिया था और मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तत्पश्चात अभियुक्त अभियुक्त अमीन शेख उर्फ छोटू पुत्र मुख्तार अहमद शेख उम्र करीब 22

वर्ष सा0 समेदा थाना सिधारी आजमगढ़ को दिनांक 11.01.2021 समय 08.35 सुबह गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0स0 10/2020 धारा 363/364/342/506/307 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1. एक अदद चाकू
2. चाकू को धार देने वाला पत्थर

गिरफ्तार अभियुक्त

अमीन शेख उर्फ छोटू पुत्र मुख्तार अहमद शेख उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 अशोक कुमार तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़
3. हे0का0 श्यामबदन थाना सिधारी आजमगढ़
4. का0 अष्टभूजा यादव थाना सिधारी आजमगढ़
5. का0 आलोक कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
6. म0का0 दिब्या धवन थाना सिधारी आजमगढ

थाना- बरदह

सामूहिक दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08.01.2021 को निवासिनी थाना क्षेत्र बरदह द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि 25.12.2020 को अमन राजभर द्वारा अपना घर दिखाने हेतु ग्राम ग्राम चौकी (पिलखुआँ) थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर ले जाकर अपने अन्य दोस्तों कुन्नू यादव,सोनू राजभर,आकाश राजभर निवासीगण ग्राम चोकी पिलखुआ थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर के साथ मिलकर दुपट्टे पर कुछ छिड़ककर मुँह पर लगाकर मदहोश करके बलात्कार किये तथा अश्लील विडियों बनाकर वायरल कर दिये। सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-09/2021 धारा 376 डी भादवि व 67 ए आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पूर्व में 03 अभियुक्तों 1. अमन राजभर 2. कुन्नू यादव व 3. आकाश राजभर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 11.01.2021 को प्र0नि0 थाना बरदह विनोद कुमार मय हमराह द्वारा सरायमोहन में मुक्तिपुर रोड पर संदिग्ध वाहन/संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग कर रहे थे कि मुखबीर ने आकर सूचना दिया कि मु0अ0सं0-09/2021 धारा 376 डी भादवि व 67 ए आईटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सोनू ठेकमा बाजार में तिराहे के पास कहीं जाने की फिराक में खडा है। इस सूचना पर प्र0नि0 बरदह मय हमराहियान ठेकमा बाजार पहुचकर शिव मंदिर के पास खडे व्यक्ति के पास जैसे ही पहुंचे कि पुलिस बल को देखकर घबराकर भागना चाहा कि पुलिस बल द्वारा मौके पर ही घेर कर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सोनू राजभर पुत्र सुखराम साकिन ग्राम चौकी पिलखुआ थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर बताया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 08.10 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 09/21 धारा 376डी भादवि 67 आईटी एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त

सोनू राजभर पुत्र सुखराम साकिन ग्राम चौकी पिलखुआ थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्र0नि0 विनोद कुमार मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ .

थाना जहानागंज

चोरी गए सामान के साथ व एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद कारतूस जिन्दा के साथ दो नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.01.2021 को वादी बिविप बिहारी त्रिपाठी पुत्र श्री कन्हैयालाल तिवारी निवासी ग्राम बङहलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय मे मु0अ0स0 008/2021 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

दिनांक 11.01.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में ग्राम बङहलगंज बाजार मे प्र0नि0 मय हमराह कर्मचारीगण के मामूर थे कि मुखबीर खास द्वारा सूचना दिया गया कि मु0अ0स0 008/2021 से सम्बन्धित चोरी करने वाले अभियुक्तगण उसी चोरी का सामान लेकर चिरैयाकोट बेचने के लिए जा रहे है जिसके पास एक तमन्चा भी है। सूचना पर प्र0नि0 मय हमराह

कर्मचारी गण के बड़हलगंज तिराहे अपने को छिपते छिपाते हुए मौजूद थे कि अभियुक्तगण 1. मोहम्मद अब्दुल्लाह पुत्र अकबर अली ग्राम बरही थाना जहानागंज आजमगढ 2.   मुकेश राम पुत्र भानू राम ग्राम बड़हलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ आते हुए दिखायी दिये कि   एक बारगी दबिश देकर दोनो अभियुक्तो को समय करीब 4.00 बजे भोर मे पकड़ लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा अ0स0 008/21 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित प्रेस व तीन अदद माइक्रोफोन बरामद हुआ तथा अभियुक्क मो0 अब्दुल्ला के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ अभियुक्तगण से पुछताछ किया गया तो मु0अ0स0 008/21 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित और माल दो इन्वर्टर दो अदद बैट्री,एक अदद स्टेपलाइजर,एक अदद इन्डेक्सन,एक अदद इलेक्ट्रानिक बोर्ड, ,व तीन बण्डल झालर को बड़हलगंज पुलिया के नीचे छिपा कर रखना बताये कि अभियुक्तगण की निशानदेही पर उपरोक्त माल बरामद किया गया तथा माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0स0 009//20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः - मोहम्मद अब्दुल्लाह पुत्र अकबर अली ग्राम बरही थाना जहानागंज आजमगढ बदरियाफ्त पुछने पर बता रहा है कि साहब विपिन बिहारी त्रिपाठी ग्राम बरही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ मूल निवासी जनपद मऊ के है इसलिए मुझे मालूम था कि विपिन बिहारी त्रिपाठी स्कूल बन्द होने के कारण अपने मूल निवास मऊ चले गये है इसलिए मुझे लालाच हो गया औऱ मै अपने सहयोगी मुकेश राम के साथ यह चोरी कर दिया   और साहब बड़हलगंज पुलिया के नीचे छिपा कर रखा और चिरैयाकोट मे प्रेस अपने सहयोगी मुकेश राम के साथ बेचने व पुलिया के नीचे रखे माल की सौदा तय करने के लिए जा रहा था तथा मै यह तमन्चा व कारतूस अपनी सुरक्षा के लिए रखता था कि आप के द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। मुझे माफ कर दिया गया दोबारा गलती नही करुगा

पुछताछ विवरणः-मुकेश राम पुत्र भानू राम ग्राम बड़हलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ बदरियाफ्त पुछने पर बता रहा है कि साहब मै अब्दुल्ला का दोस्त हूँ औऱ अब्दुल्लाह के द्वारा कहने पर मै यह चोरी लालच वश अब्दुल्ला के साथ कर दिया हूं और हम दोनो सामान चिरैयाकोट बेचने व पुलिया के निचे रखे माल की सौदा तय करने के लिए जा रहे थे कि आप के द्वारा पकड़ लिया गया मुझे माफ कर दिजिए दोबारा गलती नही करुगा।

<u>पंजीकृत अभियोगः-</u>

मु0अ0स0 009 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 457/380/411 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

<u>आपराधिक इतिहासः</u>

मो0 अब्दुल्लाह - मु0अ0स0 008/2021 धारा 457/380/411 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
009/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

<u>आपराधिक इतिहासः</u>

मुकेश राम पुत्र भानू राम- मु0अ0स0 008/2021 धारा 457/380/411 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

<u>बरामदगीः-</u>

दो इन्वर्टर दो अदद बैट्री,एक अदद स्टेपलाइजर,एक अदद इन्डेक्ट,एक अदद इलेक्ट्रानिक बोर्ड, एक अदद इलेक्ट्रानिक प्रेस, तीन अदद माइक्रोफोन,व तीन बण्डल झालर तथा तथा एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद कारतूस जिन्दा

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मोहम्मद अब्दुल्लाह पुत्र अकबर अली ग्राम बरही थाना जहानागंज आजमगढ
2. मुकेश राम पुत्र भानू राम ग्राम बङहलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1-प्र0नि0 संदीप यादव

2.उ0नि0 ओमप्रकाश तिवारी

2-का0 पंकज कुमार

3-का0 अंकित कुमार

4-म0का0 प्रियन्का गौङ

थाना- कप्तानगंज

चोरी गए सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा श्री रामधारी पुत्र स्व 0 निरखी ग्राम तमरुआ थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 10 .01.2021 को सिंचाई के इंजन/पम्पिंग सेट को चुराने के सम्बन्ध में विरूद्ध वाहन संख्या MH03AR4577 के चालक नाम पता अज्ञात के मु0अ0सं0 06/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर महेन्द्र कुमार शुक्ला के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.01.2021 को तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु मामूर व मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में लीन होकर मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराहियान के पूर्वांचल एस्सप्रेसवे के वर्कशाप पास ग्राम भूर्रामकबूलपुर थाना कन्धरापुर क्षेत्र से अभियुक्त रामचेत पुत्र मोतीलाल ग्राम भूर्रामकबुलपुर निवासी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ व क्वालिस गाड़ी जिसका नंम्बर एम एच 03 एआर 4577 में चोरी किया हुआ इंजन/पम्पिंग सेट लदा हुआ बरामद हुआ । अभियुक्त रामचेत उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर आज दिनांक 11.01.2021 को समय करीब 11.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 06/21 धारा 379 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 411 भादवि है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामचेत पुत्र मोतीलाल ग्राम भूर्रामकबुलपुर निवासी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

क्वालिस गाड़ी वाहन संख्या MH03AR4577 व चोरी गया सिंचाई वाला इंजन /पम्पिंग सेट।

<u>गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम</u> –

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह थाना कप्तानगंज
2. कां0 नित्यानन्द सिंह
3. का0 पंकज यादव